प.ह. धरोड़ा (दि. 30/6/17) भू.अ.नि.भ्रं. रोशिया के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी नं. 2537/839 में खातेदार शंकर पिता उदा मीणा दर्ज है जो कि वाद पत्र के पैरा स. 1 मे दर्ज स्वयं वादी ने किया है एवं हस्ताक्षरित भी किया है अत: राजस्व अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रार्थी/वादी रिकॉर्डेड खातेदार नही है वादी के रिकॉर्डेड खातेदार नही होने से वाद चलने योग्य नही है अत: वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाना उचित है जो खारिज किया जाता है पत्रावली केवल प्रमाण होकर बाद में कार्यवाही जाकर दाखिल दफ्तर हो। [illegible] सुनाया गया।

[illegible]